रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART IiI—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937
No. 236] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ASADHA 15, 1937

भारतीय रिजर्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जुलाई, 2015

भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 22(i) और (ii) और विनियम 23(i), (ii) और (v) में संशोधन

सं. डी जी बी ए/अकाउंटस/बी ए ए एस सं. 18/62.01.022/2015–16—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में आगे निम्नलिखित संषोधन करता है, अर्थात् :–

1. (1) ये विनियमावली भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संषोधित) विनियमावली, 1949 कहलायेंगे।

(2) ये 30 जून, 2015 से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949, में –

(i) विनियम 22 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

22. लेखों का वार्षिक विवरण :–

केंद्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष जून माह के अंतिम कार्यदिवस पर बैंक के लेखों का समतुलन करेगा और वार्षिक लेखे निम्नानुसार जारी की जाएगी :

(क) तुलनपत्र जो निम्नलिखित रूप में होगा और जिसमें निर्दिष्ट ब्यौरे निहित हों, अर्थात :–

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून का तुलन पत्र

(राषि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	आस्तियां	अनुसूची	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
पूंजी				**बैंकिंग विभाग(बैंवि) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि				नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के			
अन्य आरक्षित निधियां				सोने के सिक्के और बुलियन			
जमाराषि				निवेश–विदेषी – बैंवि			
अन्य देयताएं और प्रावधान				निवेश– देषी– बैंवि			
				खरीदे और भुनाए गए बिल			
				ऋण और अग्रिम			
				समनुषंगी संस्थाओं में निवेष			
				अन्य आस्तियां			
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग की आस्तियां** (निवि)			
जारी नोट				(जारी नोट के समर्थन के तौर पर)			
				रुपया सिक्का			
				निवेश–विदेषी – निवि			
				निवेश–देषी– निवि			
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र			
कुल देयताएं				**कुल आस्तियां**			

मुख्य महाप्रबंधक उप गवर्नर उप गवर्नर उप गवर्नर उप गवर्नर गवर्नर

(ख) आय विवरण जो निम्नलिखित रूप में हो और इसमें निर्दिष्ट ब्यौरे निहित हों, अर्थात् :–

भारतीय रिजर्व बैंक

आय विवरण

(राषि ₹ बिलियन में)

वर्ष का आय

..... वर्ष के लिए आय	अनुसूची	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
ब्याज			
अन्य आय			
कुल			

व्यय	
नोटों का मुद्रण	
मुद्रा के प्रेषण पर व्यय	
एजेंसी प्रभार	
कर्मचारी लागत	
ब्याज	
डाक टिकट और दूरसंचार प्रभार	
मुद्रण और स्टेषनरी	
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	
मरम्मत और अनुरक्षण	
निदेशक और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के षुल्क और व्यय	
लेखापरीक्षकों के षुल्क और व्यय	
विधि प्रभार	
विविध व्यय	
मूल्यह्रास	
प्रावधान	
कुल	
उपलब्ध शेष राशि	
घटाएं	
(क) निम्नलिखित में अंशदान	
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	
(ख) नाबार्ड को अंतरणीय	
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [1]	
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण परिचालन) निधि [1]	
(ग) अन्य (मुख्य मदों का विवरण दें)	
केंद्र सरकार को देय अधिशेष	

[1]ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

(ग) 23 विनियम में

(क) उपवाक्य (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) निर्गम विभाग के निवेषों सहित बैंक का निवेष तुलनपत्र में 'निवेष' षीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा और खाते में रखी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस अथवा प्रत्येक माह के ऐसे अंतराल, जिसे बैंक उचित समझे, की बाजार दरों से अनधिक दर पर निकाला जाएगा।

(ii) मूल्यांकन के लिए अपनाए गए तरीके को तुलनपत्र के साथ संलग्न खातों के संबंध में टिप्पणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में प्रकट किया जाएगा।

(ख) उपवाक्य (v), में ''निकटतम हजार रुपयों में'' षब्दों को ''निकटतम बिलियन रुपयों में'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पी.विजय भास्कर, कार्यपालक निदेषक

[विज्ञापन III/**4**/असा./38—ए/15 (125)]

नोट :— मुख्य विनियम 1949 में तैयार किए गए थे, तब इन्हें अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं था। 19 दिसंबर 1988 की अधिसूचना सं. 93 के माध्यम से 1988 के अधिनियम सं. 66 की धारा 6 के द्वारा 30—12—1988 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों को आधिकारिक गजट में अधिसूचित करने संबंधी अपेक्षा को षामिल किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक विनियमावली, 1949 में अंतिम संषोधन 18—24 अक्तूबर 2014 की अधिसूचना सं. 42 के माध्यम से किया गया था, जिसे 18—24 अक्तूबर 2014 के भारत में राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाषित किया गया था।

RESERVE BANK OF INDIA
(Department of Government and Bank Accounts)
NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2015

Amendment to Regulation 22 (i) and (ii) and Regulation 23(i), (ii) and (v) of RBI General Regulations, 1949

No. DGBA/Accts/BA AS No. 18/62-01.022/2015-16.— In exercise of the powers conferred by section 58 of the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934), the Central Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2015.

 (2) They shall come into force with effect from the 30th day of June, 2015.

2. In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, -
 (i) for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

22. Annual statement of accounts:-

The Central Board shall cause the books of the Bank to be balanced on the last working day of the month of June in each year and the annual accounts shall be set out as follows:

(a) a Balance Sheet in the following form and containing the particulars specified therein, namely:—

RESERVE BANK OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON 30th JUNE …….

(Amount in ₹ billion)

Liabilities	Sche-dules	Previous year	Current Year	Assets	Sche-dules	Previous year	Current Year
Capital				**Assets of Banking Department(BD)**			
Reserve Fund				Notes, rupee coin, small coin			
Other Reserves				Gold Coin and Bullion			
Deposits				Investments-Foreign-BD			
Other Liabilities and Provisions				Investments-Domestic-BD			
				Bills Purchased and Discounted			
				Loans and Advances			
				Investment in subsidiaries			
				Other Assets			
Liabilities of Issue Department				**Assets of Issue Department(ID)**			
Notes issued				Gold Coin and Bullion(as backing for Note issue)			
				Rupee coin			
				Investment-Foreign-ID			
				Investment-Domestic-ID			
				Domestic Bills of Exchange and other Commercial Papers			
Total Liabilities				**Total Assets**			

Chief General Manager Deputy Governor Deputy Governor Deputy Governor Deputy Governor Governor

(b) An income Statement for the year in the following form and containing the particulars specified therein namely:-

RESERVE BANK OF INDIA

INCOME STATEMENT

(Amount in ₹ billion)

INCOME for the year …….

	Schedules	Previous year	Current Year
Interest			
Other income			
Total			
EXPENDITURE			
Printing of Notes			
Expenditure on Remittance of Currency			
Agency Charges			
Employee Cost			
Interest			
Postage and Telecommunication Charges			
Printing and Stationery			
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.			
Repairs and Maintenance			
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses			
Auditors' Fees and Expenses			
Law Charges			
Miscellaneous Expenses			
Depreciation			
Provisions			
Total			
Available Balance			
Less:			
(a) Contribution to:			
(i) National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund			
(ii) National Housing Credit (Long Term Operations) Fund			
(b) Transferable to NABARD:			
(i) National Rural Credit (Long Term Operations) Fund[1]			
(ii) National Rural Credit (Stabilisation) Fund[1]			
(c) Others (specify major items)			
Surplus payable to the Central Government			

[1] These funds are maintained by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

(c) in regulation 23 -

(a) for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be, substituted, namely:-

(i) The investment of the Bank including investments of the issue department shall be held under the balance sheet head 'investments' and the securities held in that account shall be valued at rates not exceeding the market rates as on the last working day of each month or at such intervals within each month, as the Bank may deem fit.

(ii) The method followed for valuation shall be disclosed in the Notes to Accounts and Significant Accounting Policies appended to the balance sheet;

(b) in clause (v), for the words "the nearest thousand rupees", the words "the nearest billion rupees" shall be substituted.

P. VIJAYA BHASKAR, Executive Director

[ADVT-III/4/Exty./38-A/15 (125)]

Note :- The principal regulations were made in 1949 when there was no requirement to notify in the Official Gazette. The requirement to notify the regulations made under RBI Act in the Official Gazette was inserted by section 6 of Act No. 66 of 1988 with effect from 30-12-1988 vide notification No. 93 dated December 19, 1988. RBI General Regulations, 1949 were last amended vide Notification No. 42 dated October 18-24, 2014 published in the Gazette of India Part III, Section 4 dated October 18-24,2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.